राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(11)शिक्षा/ग्रुप–3/2019 जयपुर, दिनांक: 21 AUG 2019

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के बिन्दु संख्या 275.00.00 "राजसमन्द के रेलमगरा, जयपुर के जमवारामगढ़, बारां के शाहबाद एवं नागौर के नावां कस्बे में नवीन महाविद्यालय खोले जायेगे" एवं बिन्दु संख्या 276.00.00 "बांदीकुई एवं सिकन्दरा जिला दौसा, बहरोड़ व लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, तिवरी–मथानिया जिला जोधपुर, हेतमसर तहसील एवं जिला झुंझुनूं, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ मुख्यालय में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जायेगे।" की क्रियान्विति के क्रम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. 12 नवीन राजकीय महाविद्यालयों के लिए निम्नानुसार 252 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	पद का नाम	विभागीय बजट मद 2202–03–103–02–00 राजकीय महाविद्यालय रेलमगरा, जमवारामगढ़, शाहबाद एवं नावां	विभागीय बजट मद 2202–03–103–03–00 राजकीय कन्या महाविद्यालय बांदीकुई, सिकन्दरा, बहरोड़, लक्ष्मणगढ़, तिवरी–मथानिया (जोधपुर), हेतमसर तहसील (झुंझुनूं), प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़
1	प्राचार्य	04	08
2	सहायक आचार्य	28	56
3	पुस्तकालयध्यक्ष	04	08
4	शारीरिक शिक्षक	04	08
5	सहायक लेखाधिकारी–I	04	08
6	अति. प्रशासनिक अधिकारी	04	08
7	आशुलिपिक	04	08
8	वरिष्ठ सहायक	04	08
9	कनिष्ठ सहायक	08	16
10	प्रयोगशाला सहायक	04	08
11	प्रयोगशाला वाहक	04	08
12	बुक लिफ्टर	04	08
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	08	16
	कुल योग	**84**	**168**

2. विभाग द्वारा भूमि आवंटन/तकमीना तैयार करने के उपरान्त सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार DMFT/CSR/MLALAD/MPLAD Fund से नवीन राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के पूर्ण प्रयास किये जावें। तत्पश्चात् अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर संशोधित बजट अनुमानों में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

3. विभाग को स्कूल शिक्षा के रिक्त भवनों तथा अन्य राजकीय रिक्त भवनों को उपयोग में लेने की प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

2/

4. आवर्तक/अनावर्तक व्यय हेतु भवन निर्माण के अतिरिक्त प्रस्तावित शेष राशि के संबंध में उक्तानुसार नवीन पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयुक्तालय के बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक राशि का आंकलन कर प्रस्ताव बीएफसी वर्ष 2020-21 एवं संशोधित अनुमान 2019-20 के यथा समय वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900204 दिनांक 20.08.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd

(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20(101/15)आयो/आकाशि/2019-20 मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 20 (101/02)/आयो/आकाशि/15-16/780 दिनांक: 21 अगस्त,2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
8 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
9 कुलसचिव, मोहनलाल सुखाडियाविश्वविद्यालय,उदयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर,कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय,अजमेर, राजर्षि मतस्य विश्वविद्यालय अलवर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर गोविन्द गुरू जनजातिय विश्वविद्यालय बांसवाडा, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर को भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयो का सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
10 संबंधित जिला कलक्टर
11 संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृत पदो की भरने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
12 संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयो में प्रवेश संबधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
13 प्राचार्य /नोडल अधिकारी, संबधित राजकीय महाविद्यालय।
14 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा विभाग राज.
जयपुर